तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.2022	पत्रावली पेश हुई।	

पत्रावली पेश हुई।
बकुलाय फरीकेन उपस्थित।
प्रार्थी वकील की दलील है कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर कयशुदा है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसे उसके 1/3 हिस्से की भूमि से बलपूर्वक बेदखल करने पर उतारू हैं यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। विवादित भूमि का रिकोर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपनी कयशुदा 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूल वाद विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी न दे और मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस है कि विवादित भूमि मौजा पादरू के खसरा संख्या 845 रकबा 4.0145 हैक्टेयर के अतिरिक्त खसरा संख्या 840 रकबा 06–03 बीघा भूमि भी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी की है। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडा अनुसार रकबा 4.0145 हैक्टेयर खसरा संख्या 845 की भूमि में प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि विप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में रखी गई और बदले में खसरा संख्या 840 रकबा 06–03 बीघा भूमि प्रार्थी के हिस्से में दी गई। इस प्रकार विवादित भूमि खसरा संख्या 845 में 2/3 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 का रहा। इससे विवादित खसरा संख्या 845 की भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थी विवादित भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रिकोर्ड के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कयशुदा भूमि हैं जिसमें 1/3–1/3 हिस्से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के होना निर्विवाद रूप से साबित है। जहां तक उक्त खसरे के 1/3 हिस्से की भूमि के बदले प्रार्थी को खसरा संख्या 840 में निहित विप्रार्थी संख्या 2 के 1/2 हिस्से की भूमि प्रार्थी को दिये जाने की दलील का प्रश्न है न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि संयुक्त खातेदारी के दो खसरे होने की स्थिति में प्रत्येक खातेदार अपने वास्तविक धारित रकबानुसार प्रत्येक खसरे में हकदार होगा। उसकी मर्जी के विरूद्ध किसी एक खसरे की भूमि में उसके निहित हक के बदले में दूसरे सह खातेदार को विभाजन मे नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी चूंकि खसरा संख्या 845 रकबा 4.0145 हैक्टेयर में अपनी कयशुदा 1/3 हिस्से की भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वह उक्त हिस्से की सीमा तक अपने कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं देने का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है किन्तु वह शेष 2 खातेदार–विप्रार्थी संख्या 1 व 2– को उनके वास्तविक हिस्से की भूमि का बेचान करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।

लिहाजा ताफैसला मूल वाद प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थगन जारी किया ज[illegible] सिवाना के खसरा संख्या 845 रकबा 4.0145 हैक्टेयर भूमि [illegible]र्थी के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार का हस्त[illegible] करे।

आदेश आज दिनांक 05.12.20[illegible] गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना